

अनुदान संख्या 11 - वाणिज्य विभाग
GRANT No. 11-DEPARTMENT OF COMMERCE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
प्रभारित-	Charged-				
मूल	Original	50,00	2,55,00	2,54,43	-57
पूरक	Supplementary	2,05,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	3047,84,00	3208,44,00	3185,78,48	-22,65,52
पूरक	Supplementary	160,60,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,19,64
पूंजीगत:	Capital:				
स्वीकृत-	Voted-		612,22,00	610,49,85	-1,72,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (2265.52 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 16060.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 14 प्रतिशत और कुल स्वीकृत अनुदान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2265.52 lakhs) constituted 14 percent of the supplementary grants of Rs.16060.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services			
मू.	O.	6088.00		
पू.	S.	1.00	5842.40	5747.23
पु.	R.	-246.60		-95.17
मुख्य शीर्ष "2057" पूर्ति तथा निपटान	Major Head "2057" Supplies and Disposals			
मू.	O.	7707.00		
पू.	S.	1.00	8120.87	7889.59
पु.	R.	412.87		-231.28
मुख्य शीर्ष "2407" बागान	Major Head "2407" Plantations			
मू.	O.	41789.00		
पू.	S.	2.00	51739.00	51598.32
पु.	R.	9948.00		-140.68
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	10000.00		
पु.	R.	-10000.00
मुख्य शीर्ष "3453" विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Major Head "3453" Foreign Trade and Export Promotion			
मू.	O.	239200.00		
पू.	S.	16056.00	254922.09	253343.34
पु.	R.	-333.91		-1578.75

(I) 11140.00 लाख रु. का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 11000.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2407" - "अन्य - अन्य व्यय - फसल बीमा" - 1000.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "चाय - अन्य व्यय" -

(i) "चाय उत्पादकों और अन्यो को सहायता" - 5200.00 लाख रु.;

(ii) "अनुसंधान और विकास" - 800.00 लाख रु.;

(ख) "काफी - अन्य व्यय - काफी उत्पादकों और अन्यो को सहायता" - 400.00 लाख रु.;

(ग) "रबड़ - अन्य व्यय - रबड़ उत्पादकों और अन्यो को सहायता" - 3000.00 लाख रु. और

(घ) "मसाले - अन्य व्यय - मसाला उत्पादकों और अन्यो को सहायता" - 600.00 लाख रु.।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - वाणिज्य विभाग" के अंतर्गत 341.77 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 6089.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आधुनिकीकरण के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.11140.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these Rs.11000.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2407" - "Others - Other Expenditure - Crop Insurance" - Rs.1000.00 lakhs - due to non-approval of the scheme.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Tea - Other Expenditure" -

(i) "Assistance to Tea growers and others" - Rs.5200.00 lakhs;

(ii) "Research and Development" - Rs.800.00 lakhs;

(b) "Coffee - Other Expenditure - Assistance to Coffee growers and others" - Rs.400.00 lakhs;

(c) "Rubber - Other Expenditure - Assistance to Rubber growers and others" - Rs.3000.00 lakhs; and

(d) "Spices - Other Expenditure - Assistance to Spices growers and others" - Rs.600.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Commerce" - saving of Rs.341.77 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.6089.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to receipt of less proposals for modernisation and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2407" - "काफी - पौध रोपण के लिए आर्थिक सहायता - काफी बोर्ड" के अंतर्गत 800.00 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3453" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता - निर्यात संवर्धन और बाजार विकास संगठनों को सहायता" - 1645.34 लाख रु. की बचत (159772.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्यातकों से कम/अधूरे दावे प्राप्त होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य संगठन" - 932.64 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कम दावे प्राप्त होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) "अन्य व्यय" -

(क) "बाजार प्रवेश पहल - निर्यात अध्ययन" - 6029.45 लाख रु. की बचत (12400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "संस्थाओं को सहायता" - 110.00 लाख रु. की बचत (1078.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रशासनिक प्रभाग/ कार्यान्वयन अभिकरणों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 51.95 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का लगभग 100 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप (8970.63 लाख रु.) से प्रयुक्त हो गई

(III) Under Major Head "2407" - "Coffee - Subsidy for plantation - Coffee Board" - saving of Rs.800.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

(IV) Under Major Head "3453" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance for Export Promotion and Market Development - Assistance to Export Promotion and Market Development Organisations" - saving of Rs.1645.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.159772.00 lakhs) was due to receipt of less/incomplete claims from the exporters and economy measures.

(B) "International Co-operation - Other Organisations" - saving of Rs.932.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to receipt of less claims from International Organisations and economy measures.

(C) "Other Expenditure" -

(a) "Market Access Initiative - Export Studies" - saving of Rs.6029.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12400.00 lakhs); and

(b) "Assistance to Institutions" - saving of Rs.110.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1078.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from the Administrative Division/implementing agencies.

(V) Under one head saving of Rs.51.95 lakhs occurred constituting almost 100 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.8970.63 lakhs) utilised for augmenting the provision by

जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 16059.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2057" - "निरीक्षण - पूर्ति निरीक्षण महानिदेशालय" - 358.40 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 274.28 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2407" -

(क) "चाय - पुनरोपण के लिए आर्थिक सहायता - चाय बोर्ड" - 299.42 लाख रु.।

(ख) "काफी - अन्य व्यय - काफी बोर्ड" - 448.42 लाख रु.।

(ग) "रबड़ - उपकर के संग्रहण संबंधी अदायगी - रबड़ बोर्ड" - 799.41 लाख रु.।

(घ) "मसाले - अन्य व्यय - मसाला बोर्ड" - 199.75 लाख रु.।

(गा) मुख्य शीर्ष "3453" -

(क) "विश्व व्यापार नियंत्रण - विदेश व्यापार महानिदेशक" - 1543.50 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1545.00 लाख रु. था।

(ख) "व्यापार सूचना और सांख्यिकी - वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशक" - 284.67 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 262.87 लाख रु. था।

(ग) "निर्यात संवर्धन स्कीमों का प्रशासन" -

(i) "कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र" - 332.31 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 326.96 लाख रु. था।

re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.16059.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2057" - "Inspection - Directorate General of Supplies Inspection" - Rs.358.40 lakhs. Actual excess, however, was Rs.274.28 lakhs.

(B) Major Head "2407"-

(a) "Tea - Subsidy for replantation - Tea Board" - Rs.299.42 lakhs.

(b) "Coffee - Other Expenditure - Coffee Board" - Rs.448.42 lakhs.

(c) "Rubber - Payment against collection of Cess - Rubber Board" - Rs.799.41 lakhs.

(d) "Spices- Other Expenditure - Spices Board" - Rs.199.75 lakhs.

(C) Major Head "3453"-

(a) "Foreign Trade Control - Director General of Foreign Trade" - Rs.1543.50 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1545.00 lakhs.

(b) "Trade Information and Statistics - Director General of Commercial Intelligence and Statistics" - Rs.284.67 lakhs. Actual excess, however, was Rs.262.87 lakhs.

(c) "Administration of Export Promotion Schemes" -

(i) "Kandla Special Economic Zone" - Rs.332.31 lakhs. Actual excess, however, was Rs.326.96 lakhs.

- (ii) “सांता क्रूज विशेष आर्थिक क्षेत्र” - 132.25 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 128.38 लाख रु. था।
- (iii) “मद्रास निर्यात संसाधन क्षेत्र” - 78.50 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 72.19 लाख रु. था।
- (घ) “निर्यात आर्थिक सहायता - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज संसहायिकी” 4045.00 लाख रु.।
- (ङ) “अन्य व्यय - कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण” - 449.00 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2407” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

- (का) “चाय - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें” - 6000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (खा) “काफी - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें” - 400.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में);
- (गा) “रबड़ - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें” - 3000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (घा) “मसाले - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें” - 600.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 65.97 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 66 प्रतिशत था।

- (ii) “Santa Cruz Special Economic Zone” – Rs.132.25 lakhs. Actual excess, however, Rs.128.38 lakhs.
- (iii) “Madras Export Processing Zone” – Rs.78.50 lakhs. Actual excess, however, was Rs.72.19 lakhs.
- (d) “Export Subsidy – Interest Subvention to Scheduled Commercial Banks” – Rs.4045.00 lakhs.
- (e) “Other Expenditure - Agricultural Products Export Development Authority” – Rs.449.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2407” – under the following heads:-

- (A) “Tea - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim” – excess of Rs.6000.00 lakhs (against nil provision);
- (B) “Coffee - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim” – excess of Rs.400.00 lakhs (against nil provision);
- (C) “Rubber - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim” – excess of Rs.3000.00 lakhs (against nil provision); and
- (D) “Spices-Other Expenditure- Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim” – excess of Rs.600.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of Rs.65.97 lakhs occurred constituting 66 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	5700.00		
पु.	R.	-5700.00
मुख्य शीर्ष "5453" विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5453" Capital Outlay on Foreign Trade and Export Promotion			
मू.	O.	53922.00	59622.00	59549.85
पु.	R.	5700.00		-72.15

(I) 5800.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 5700.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "सामान्य - विदेश व्यापार पर पूंजीगत परिव्यय - अन्य व्यय - निर्यात अवसंरचना और अन्य अनुषंगी कार्यकलापों के विकास के लिए केंद्रीय सहायता संबंधी स्कीम" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.5800.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.5700.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "General - Capital Outlay on Foreign Trade - Other Expenditure - Scheme for Central Assistance for Developing Export Infrastructure and Other Allied Activities"- due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "5453" - "सामान्य - अन्य व्यय - निर्यात अवसंरचना और अन्य अनुषंगी कार्यकलापों के विकास के लिए केंद्रीय सहायता संबंधी स्कीम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 5700.00 लाख रु. का अधिक व्यय (51300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "5453"- "General - Other Expenditure - Scheme for Central Assistance for Developing Export Infrastructure and Other Allied Activities" - excess of Rs.5700.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.51300.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.